

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

ORDER

No.Estt.(RJS)/120/2024

Date : 12.08.2024

I

The services of **Shri Rajender Kumar (UID No. RJ0171)**, an Officer in District Judge Cadre, have been repatriated from the post of Judge, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bharatpur vide State Govt. Order No. पं.17(6)अनि/2023 Dated 12.08.2024, consequent thereupon, he is hereby transferred/posted on the post of **District and Sessions Judge, Pali** and he is directed to join his new assignment.

II

Smt. Rekha Bhargava (UID No. RJ0210), an officer in the District Judge Cadre, presently posted as Spl. Judge (CBI), Jodhpur Metropolitan, who has been appointed/posted as **Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II** vide State Govt. Order No. पं.17(6)अनि/2023 Dated 12.08.2024 on her **own request**, consequent thereupon, she is hereby relieved to join her new assignment.

Note:

1. The concerned officer(s) are directed to hand over the charge in accordance with Order No.24/P.I. Dated 23.11.1998.
2. **Smt. Bhargava** who has been transferred on her own request shall not be entitled to claim transfer allowance and joining time.
3. Officer(s) are directed to mention their Unique Identification (UID) Number with their names while sending the report of handing/taking over the charge in accordance with Order No. 4/P.I. Dated 13.03.2023.

BY ORDER


(PRAMIL KUMAR MATHUR)
REGISTRAR GENERAL

No.Estt.B2(v)1/2024/3518

Date : 12.08.2024

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
4. The Principal Secretary to the Government, Law Department-Cum-Legal Remembrancer, Rajasthan, Jaipur.
5. The Secretary to the Government of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
6. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.
7. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
8. The Secretary to the Government of Rajasthan, Labour, Skill, Employment & Entrepreneurship Department, Rajasthan, Jaipur.
9. The Registrar General/Registrar(Vig.)/(Admn.)/(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F&I)/(Judicial) Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
10. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
11. The Concerned District & Sessions Judges with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officers/Posts/Courts/Treasury Officers in their Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.
12. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/
Confidential/ RJS Leave/
A.A.O.(Pension/Budget)


(PRAMIL KUMAR MATHUR)
REGISTRAR GENERAL

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023

जयपुर, दिनांक 12.08.2024

-: आदेश :-

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक PA/RG/80/2024/3440 दिनांक 01.08.2024 के अनुसरण में जिला जज केडर के अधिकारी Smt. Rekha Bhargava(RJ0210) Spl. Judge, (CBI) Jodhpur Metropolitan का स्वयं के प्रार्थना पत्र पर पदस्थापन Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II के रिक्त पद पर अग्रिम आदेशों तक किया जाता है तथा Shri Rajender kumar (RJ0171) Judge, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bharatpur की सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को तुरन्त प्रभाव से लौटाई जाती हैं।

Note:- "Smt. Rekha Bhargava has been transferred on her own request, shall not be entitled to claim transfer allowance and joining time"

आज्ञा से,

(नरेश गोकलानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, (श्रम विभाग) राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, भरतपुर/जोधपुर/जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अति0 श्रम आयुक्त, (मु0) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 12.08.2024 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
9. सम्बन्धित न्यायाधीश/न्यायालय।
10. डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन भरतपुर/जोधपुर/जयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 12.08.2024 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
17. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
18. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
19. अति, निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
20. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023

जयपुर, दिनांक 12.08.2024

अधिसूचना


राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023 दिनांक 12.08.2024 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एवं धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम सं. 03 में वर्णित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी


क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्रीमति रेखा भार्गव, स्पे. जज (सीबीआई) जोधपुर, मेट्रोपोलिटन	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर मेट्रोपोलिटन-II

राज्यपाल के आदेश से,


(नरेश गोकलानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 12.08.2024 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राज0 जयपुर।
5. न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।
6. श्रीमति रेखा भार्गव, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर मेट्रोपोलिटन-II।
7. अति0 श्रम आयुक्त,(मु0) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 12.08.2024 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव